झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या– वा0कर1/विविध/22/2010 – 155 / राँची, दिनांक – 16/1/13

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/(अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3B** के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियम 42 (2) के अधीन ऑनलाईन घोषणा पत्र **JVAT 504G** के निर्गमन हेतु प्रकिया विहित करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय परिपत्र संख्या– 3656 दिनांक 29.11.2012

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक परिपत्र के कम में ऑनलाईन घोषणा पत्र रोड परमिट (JVAT 504G) की निर्गमन प्रकिया में कतिपय आवश्यक संशोधन किए गए हैं। राज्य के विभिन्न व्यवसायिक संघों/फेडरेशन एवं व्यवसयिक घरानों द्वारा दिए गए सुझावों तथा अनुभूत व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु ऑनलाईन रोड परमिट (JVAT 504G) निर्गमन से संबंधित सॉफ्टवेयर में निम्नवत् मुख्य संशोधन किए जाते हैं :–

- Small Consignment की स्थिति में वाहन संख्या की प्रविष्टि अनिवार्य नही है लेकिन Transporter का नाम एवं पते की प्रविष्टि आवश्यक है।
- Invoice Details से मूल्य का कॉलम समाप्त कर दिया गया है।
- देश के बाहर से वस्तुओं के आयात (Import) के मामले में अन्य देशों (Other Country) के नाम की प्रविष्टि हेतु option दिया गया है।
- गाड़ी के खराब होने (Vehicle Break Down) या रास्ते में गाड़ी बदलने (Transhipment) की स्थिति में आवश्यकतानुसार गाड़ी बदली जा सकती है। Consignor द्वारा उक्त e-road permit हेतु निर्गत Secret Code द्वारा पुनः Login करने पर संबंधित निर्गत e-road permit में "Transhipment" का Link आएगा। उक्त Link को click करने से Transport Details संबंधित कॉलम सामने आता है। उक्त कॉलम में Vehicle No., Transporter Name एवं Transporter Address को बदलने की सुविधा दी गयी है। लेकिन वाहन के साथ पूर्व निर्गत e-road permit तथा Origional Transport Details ही अंकित होगी। विभागीय Mobile Squad द्वारा गाड़ी जॉच के कम में संलग्न **e-road permit** की संख्या के आधार पर विभागीय सॉफ्टवेयर से बदली गयी गाड़ी का सत्यापन किया जा सकता है।

व्यवसायियों द्वारा माल के परिवहन के कम में ऑनलाईन निर्गत रोड परमिट की दो प्रतियाँ रखना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर संबंधित अधिनियम/नियमावली/सॉफ्टवेयर में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

15·1·13

(मस्त राम मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।